RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@satyam.net.in; coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 मार्च, 2014 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 10, अंक : 10

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

वर्ष 2014 का भण्डारण सत्र बड़ी विचित्र दशा से गुजर रहा है। फरवरी माह से मार्च तक सात, आठ दिन के अन्तराल पर सारे प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा हुई। इस वर्षा ने न सिर्फ आलू की खुदाई में देरी कर दी बल्कि आलू की फसल को काफी नुकसान पहुँचाया। कुछ क्षेत्रों में तो 15 से 20 प्रतिशत कम आलू का उत्पादन या रोग के द्वारा हानि देखी गई। बार–बार वर्षा से खुदा हुआ आलू भी भीगा और उसके शीतगृह में खराब होने की सम्भावना भी बढ़ी। आलू के भावों में निरन्तर तेजी रही, आलू के भाव 1000 रुपए प्रति कुन्टल से 1100 रुपए प्रति कुन्टल के बीच दर्ज किए गए। इस समय शीतगृहस्वामियों से लेकर किसान व व्यापारी, इस असमंजस की स्थिति में पड़े हुए है कि शीतगृह में आलू भण्डारण किया जाए या नहीं, यह कितना रिस्की/risky खतरे से भरा रहेगा। फिर भी भण्डारण तो हो रहा है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि किसानों ने काफी आलू अपने घरों पर रोक रखा है जिसे वह धीरे–धीरे अप्रैल व मई माह में बेचते रहेंगे। शीतगृहों के खाली रह जाने की सम्भावना बन रही है और आशा की जाती है कि उत्तर प्रदेश के शीतगृहों की क्षमता 80 प्रतिशत से 85 प्रतिशत ही भर पाएगी।

हमें श्री एस.सी. अग्रवाल, उपाध्यक्ष, बरेली जोन से 22 तारीख की रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्हें आशा

है कि बदायूँ में 75 प्रतिशत, सम्भल में 80 प्रतिशत, बरेली में 70 प्रतिशत, रामपुर में 65 प्रतिशत की क्षमता भर पाएगी। वैसे यह अभी अनुमान ही है। सही पता मार्च के अंतिम सप्ताह के भण्डारण पर ही लगेगा।

वर्षा से भीगे हुए आलू की शीतगृहों में खराब होने की सम्भावना :

इस वर्ष फरवरी व मार्च माह में रुक–रुक कर वर्षा होने से खोदा हुआ आलू भीग भी गया है और जिसे कई किसान बगैर पूरी तरह सूखाए शीतगृहों तक ले आए है। बोरों के बाहर से यह पता लगा पाना असम्भव होता है कि अन्दर से आलू पूरी तरह सुखाया गया है या नहीं और इस वजह से वह आलू शीतगृहों में लोड कर दिया गया है। ऐसे आलू की जल्दी खराब हो जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस सम्बन्ध में हमने एक पत्र आगरा कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन को भी लिखा था जिसे उन्होंने समाचार पत्र में प्रकाशित भी करवाया था। इस पत्र को हम यहाँ प्रकाशित कर रहे है जिससे कि हमारे अन्य सदस्य लाभ उठा सके और भण्डारणकर्ताओं का सही मार्गदर्शन कर सके।

413 / सी.एस.ए.27 / 20 / 2014 दिनांक 5.3.2014

आवश्यक सूचना

जैसा कि आप सब जानते है कि फरवरी, 2014 माह में आलू की फसल की खुदाई सीजन के समय काफी वर्षा होती रही विशेषतः फरवरी माह में एक हफ्ते के अन्तराल पर तीन, चार दफा वर्षा हुई। जिसमें 28.2.2014 से 4.3.2014 की वर्षा अधिक रही। इसके पूरे प्रदेश में भारी से बहुत हुई। जिसमें 28.2.2014 से 4.3.2014 की वर्षा अधिक रही। इसके पूरे प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के समाचार मिले। इस वर्षा से आलू की खुदाई में काफी विलम्ब हो गया। खेतों में आलू सड़ने भी लगा। इस तरह का भीगा हुआ आलू शीतगृहों में भी आ रहा है। इस के शीतगृह में खराब हो जाने की काफी सम्भावना है। चूँकि भण्डारण के समय ऐसे आलू को पहचान पाना असम्भव है व भरे हुए शीतगृह में खराब होने वाले लाटों को ढूँढ पाना भी प्रायः असम्भव है। अतः भण्डारणकर्ताओं से अनुरोध है कि ऐसे भीगे हुए आलू को काफी सुखा कर शीतगृह में भण्डारित करें और उसकी दशा शीतगृह में क्या चल रही है को जानने के लिए हर माह अपने भण्डारित आलू को शीतगृह में जा कर चेक करते रहे। खराब होने की दशा में ऐसे आलू को तुरन्त शीतगृह से निकालने की व्यवस्था करे अन्यथा ऐसे खराब होने वाले आलू की जिम्मेदारी शीतगृह की नहीं होंगी।

Please make sure that you have a proof that you displayed this notice on above mentioned date not that you are producing this notice just when the potato is damaged. Therefore, to get proof, get the news printed in newspapers. If not then at least send this news to various newspapers by speed post and to DHO.

अग्नि शमन सम्बन्धी :

हमें विभिन्न शीतगृहों से यह शिकायत मिली है कि अग्नि शमन अधिकारी शीतगृहों को तमाम संयंत्र लगाने को कह रहे है, जो कि शीतगृहों की परिधि से बाहर भी है और उनका खर्च भी शीतगृहों को उठा

पाना प्रायः असम्भव सा लगता है। इस सम्बन्ध में हमने सलाहकार NCCD, को लिखा है कि वह सरकार को सलाह दे कि शीतगृहों को इस परेशानी से बचाया जाए और खास तौर से पुराने शीतगृहों को। हमारे द्वारा भेजे गए पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत है :–

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, Website : http : //www.fcaoi.org

MAHENDRA SWARUP
PRESIDENT
Cold Storage Association, Uttar Pradesh
President

RAMPADA PAUL
VICE PRESIDENT (North),
President, West Bengal Cold Storage Association

ASHISH GURU
VICE PRESIDENT (South)
President, Gujarat Cold Storage Association

MUKESH KR. AGGARWAL
HONY. SECRETARY
All India Cold Storage Association

B.L. JAJU
DIRECTOR INCHARGE AND FINANCE CONTROLLER
President, Madhya Pradesh Cold Storage Association

S.N. ASHRAF
JOINT SECRETARY AND DIRECTOR COORDINATION
President, Bihar Cold Storage Association

KULWANT SINGH SAINI
DIRECTOR
Information & Revenue
President, Haryana Cold Storage Association

GUBBA NAGENDER RAO
COORDINATOR (South)
President, Andhra Pradesh Cold Storage Association

NIRMAL PATNI
MEMBER
President, All Rajasthan Cold Storage Association

SHYAM PANSARI
MEMBER
President, Orissa Cold Storage Association

MADAN LAL JINDAL
MEMBER
President, Uttaranchal Cold Storage Association

RAJESH GOYAL
NATIONAL COORDINATOR
Hony. Secretary, Cold Storage Association, Uttar Pradesh

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Federation:37/2014 March 25, 2014

Shri Pawanexh Kohli,
Advisor,
National Center for Cold Chain Developmennt (NCCD)
Ministry of Agriculure,
Governmennt of India,
Room No.645, A Wing, Nirman Bhawan,
Maulana Azad Road,
New Delhi 110001
Phone: 011 23061595
E Mail: NCCD@gov.in.pxkohli.nccd@gmail.com

Dear Shri Kohli,

Subject: Imposition of Purchasing/Installation of Fire Service Equipment on Cold Storages by Fire Department.

Cold Storages are being served notices by Fire Department to install additional Fire Fighting and Fire Safety Devices in cold storages. The List is attached. Already cold storages install several Fire Extinguishers according to their capacity and every cold storage has got water tank of 10,000 to 20,000 litres capacity.

Cost of the entire new equipment with civil work is exhorbitantly high and beyond the bearing capacity of cold storages. Further, please note that these devices are for multi-storied buildings of more than fifteen metres height while most of the cold storages are of the height of fifteen metres or below fifteen metres. Not only this, cold storages are single storey buildings and under one building several floors are made, which have one common exit and entry both, hence such rules do not apply to cold storages.

You are requested to help us in this regard. Please advise the Fire Department to implement suitable Fire Fighting Equipments to cold storages. Also old cold storages should be totally exempt from this extra burden.

Thanking you,

For FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

(MAHENDRA SWARUP)
PRESIDENT

Enclo. As above.

(3) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, मार्च, 2014

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, Website : http : //www.fcaoi.org

MAHENDRA SWARUP
PRESIDENT
Cold Storage Association, Uttar Pradesh
President

RAMPADA PAUL
VICE PRESIDENT (North),
President, West Bengal Cold Storage Association

ASHISH GURU
VICE PRESIDENT (South)
President, Gujarat Cold Storage Association

MUKESH KR. AGGARWAL
HONY. SECRETARY
All India Cold Storage Association

B.L. JAJU
DIRECTOR INCHARGE AND FINANCE CONTROLLER
President, Madhya Pradesh Cold Storage Association

S.N. ASHRAF
JOINT SECRETARY AND DIRECTOR COORDINATION
President, Bihar Cold Storage Association

KULWANT SINGH SAINI
DIRECTOR
Information & Revenue
President, Haryana Cold Storage Association

GUBBA NAGENDER RAO
COORDINATOR (South)
President, Andhra Pradesh Cold Storage Association

NIRMAL PATNI
MEMBER
President, All Rajasthan Cold Storage Association

SHYAM PANSARI
MEMBER
President, Orissa Cold Storage Association

MADAN LAL JINDAL
MEMBER
President, Uttaranchal Cold Storage Association

RAJESH GOYAL
NATIONAL COORDINATOR
Hony. Secretary, Cold Storage Association, Uttar Pradesh

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Federation:37/2014 March 25, 2014

ADDITIONAL LIST OF FIRE FIGHTING AND FIRE SAFETY DEVICES REQUIRED TO BE INSTALLED IN COLD STORAGES.

1. Fire Extinguishers
2. Hose Reel
3. Wet Rises
4. Yard Hydrants
5. Automatic Sprinkler System in the entire building
6. Manually Operated Electric Fire Alarm System
7. Automatic Detection and Alarm System in the entire building
8. Terrace tank 20,000 liters
9. Underground water storage tank 1,00,000 liters
10. Fire Pumps:

    Electric Fire Pump of 2280 LPM – 1 No.
    Diesel Pump 2280 LMP – 1 No.
    Jockey Pump 180 LPM – 1 No.
    Booster Pump 450 LPM – 1 No.

11. One external staircase with minimum width of 1.25 Mtrs. Should be connected with all floors.

For FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

(MAHENDRA SWARUP)
PRESIDENT

विद्युत टैरिफ सम्बन्धी :

कृपया ध्यान दें कि वर्ष 2013–2014 में विद्युत टैरिफ नहीं आया है। इसके मई, 2014 तक आने की उम्मीद की जा रही है, जो कि शायद जून माह से लागू हो जाए। चुनाव वर्ष होने के कारण इसको अभी तक टाला गया है।

विद्युत सम्बन्धी :

कोल्ड स्टोरेज उपभोक्ताओं हेतु महत्वपूर्ण सुझाव :

1. उपभोक्ता विभाग के द्वारा प्रतिमाह ली जाने वाली रीडिंग की रीडिंग स्लिप व एम.आर.आई. रिपोर्ट, यदि ली गई हो, कि प्रति अवश्य प्राप्त कर लें। रीडिंग स्लिप में अंकित विवरण का मिलान विभाग द्वारा प्रतिमाह निर्गत विद्युत बीजक में दर्शाये गये है विवरण से अवश्य कर लें। यदि विभाग रीडिंग स्लिप व एम.आर.आई. रिपोर्ट की प्रति देने से मना करता है उसकी शिकायत विभाग के उच्चाधिकारियों एवम् विद्युत नियामक आयोग से अवश्य करें।
2. उपभोक्ता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के द्वारा प्रतिमाह विभाग के अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली रीडिंग के समय निम्नलिखित विवरण पूछकर अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें तथा इस विवरण का मिलान रीडिंग स्लिप एवम् विद्युत बीजक में दर्शाये गये विवरण से अवश्य कर लें –
   (क) तारीख व समय
   (ख) के.डब्लू.एच.
   (ग) के.वी.एच.
   (घ) Current Demand (MD)
   (ङ) Back Demand (BD)
   (च) Cumulative Maximum Demand (CMD)
3. यदि टी.ओ.डी. मीटर लगा हो तो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जोन वाइज के.वी.एच. रीडिंग का विवरण नोट कर लें –
   (क) 22.00 बजे से 6.00 बजे तक
   (ख) 6.00 बजे से 17.00 बजे तक
   (ग) 17.00 बजे से 22.00 बजे तक

4. यदि उपभोक्ता के परिसर के बाहर डबल पोल मीटर लगा हो तो उपरोक्त वर्णित पैरा 1, 2, 3 के अनुसार डबल पोल मीटर रीडिंग के विवरण भी प्राप्त कर लें।

5. विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर विद्युत दर सूची (टैरिफ) का अनुमोदन प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात् अनुज्ञप्तिधारियों (लाइसेन्सी) द्वारा उपरोक्त दर सूची को, यदि वह संतुष्ट हो तो, विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख होता है कि यह दर सूची किस तिथि से प्रभावी मानी जायेगी, परन्तु क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इसका सही पालन नहीं किया जाता। उपभोक्ता का दायित्व है कि वह टैरिफ की प्रभावी तिथि को संज्ञान में लेते हुए जाँच लें कि विद्युत बीजकों को नयी दर सूची की प्रभावी तिथि से बनाया गया है अथवा नहीं।

6. विद्युत वितरण संहिता, 2005 के अनुच्छेद 6.1 (g) के अनुसार विभाग विद्युत बीजक (बिल) जारी करने की तिथि से बीजक की धनराशि को जमा करने के लिए उपभोक्ता को 15 दिन का समय देगा।

7. विभाग द्वारा प्रतिमाह बिलेबिल डिमान्ड की गणना सामान्यतः Back Demand अथवा CMD के अन्तर पर की जानी चाहिए, परन्तु यदि किसी कारण से एक ही माह में दो बार रीडिंग ली गयी है तो बिलेबिल डिमान्ड की गणना Current Demand पर की जानी चाहिए। परन्तु विभाग द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

8. (क) विभाग के द्वारा निर्गत मासिक बिल पे TOD Slot में वही विवरण होना चाहिए जो उस माह की रीडिंग स्लिप/एम.आर.आई. रिपोर्ट में हो।

   (ख) यदि किसी माह में रीडिंग ले पाना सम्भव न हो तो विभाग विद्युत वितरण संहिता, 2005 के अनुसार पिछले तीन माह के औसत के आधार पर उस माह का बिल निर्गत करेगा। यदि यह भी सम्भव न हो तो अगले तीन माह के औसत के आधार पर उस माह के बिल का संशोधन करेगा।

   (ग) किसी भी स्थित में डबल पोल पर स्थापित मीटर की रीडिंग के आधार पर विद्युत बीजक (बिल) निर्गत नहीं किया जा सकता। अतः उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डबल पोल पर स्थापित मीटर की रीडिंग के आधार पर विद्युत बीजक निर्गत करने की सहमति प्रदान न करें।

   (घ) जिस माह नयी विद्युत दर सूची (टैरिफ) लागू हुई हो, उपभोक्ता इस बात की अवश्य जाँच

कर लें कि विभाग द्वारा रीडिंग का विभाजन, विद्युत दर सूची के प्रभावी होने की तिथि के अनुसार किया है अथवा नहीं।

9. यदि किसी माह में बिलेबिल डिमान्ड, कान्ट्रैक्टेड डिमाण्ड से ज्यादा हो जाती है तो विभाग द्वारा Excess Demand की गणना सामान्य दर के अतिरिक्त दुगनी दर से किया जाता है जबकि वर्तमान में प्रभावी दर सूची के अनुसार प्राविधान है कि यदि Excess Demand कान्ट्रैक्टेड डिमाण्ड के 10 प्रतिशत के अन्दर है तो सामान्य दर के अलावा केवल एक गुना डिमान्ड चार्जेज लिया जाएगा तथा यदि Excess Demand Contracted Demand के 10 प्रतिशत से ज्यादा है तो विभाग सामान्य दर के अलावा दो गुना डिमाण्ड चार्जेज वसूल करेगा।

10. कोल्ड स्टोरेज इण्डस्ट्रीज, सीजनल इण्डस्ट्रीज की श्रेणी में आती है। अतः उपभोक्ता प्रतिवर्ष ऑफ सीजन शुरू होने से पूर्व विभाग को ऑफ सीजन अवधि के बारे में लिखित रूप से अवश्य सूचित करें जिससे कि वे ऑफ सीजन की छूट के हकदार हो जाये। यहाँ यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि इकाई की बन्दी कम से कम 3 माह व अधिकतम 8 माह होनी चाहिए। वर्तमान टैरिफ के अनुसार ऑफ सीजन छूट के लिए यह आवश्यक है कि आपके कोल्ड स्टोरेज का विद्युत भार ऑफ सीजन की अवधि में स्वीकृत भार का 25 प्रतिशत से अधिक न हो। इस अवधि में प्रत्येक माह बिलेबिल डिमाण्ड की गणना उस माह मीटर में अंकित अधिकतम डिमाण्ड के आधार पर गणना किये जाने का प्राविधान है। ऑफ सीजन की अवधि में यदि उपभोक्ता का विद्युत भार, स्वीकृत भार के 25 प्रतिशत से अधिक मीटर द्वारा रिकार्ड किया जाता है तो विभाग पहली बार इस माह की ऑफ सीजन की छूट समाप्त कर डेढ़ गुना की दर से विद्युत मूल्य वसूल करेगा तथा विभाग दूसरी बार डिमाण्ड 25 प्रतिशत से अधिक आने पर पूरे वित्तीय वर्ष की ऑफ सीजन की छूट को खत्म कर देगा।

11. (क) वर्तमान प्रभावी दर सूचियों के अनुसार औद्योगिक श्रेणी (HV-2 & LMV-6) के उपभोक्ताओं की बिलिंग KVAh पर की जा रही है। समस्त उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि अपने पावर फैक्टर को यूनिटी के आस–पास रखें क्योंकि पावर फैक्टर जितना कम होगा KVAh की रीडिंग उतनी ही ज्यादा होगी और इसके कारण उपभोक्ताओं को ज्यादा विद्युत मूल्य का भुगतान करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए –

यदि किसी माह उपभोक्ता की रीडिंग 1000 KWH है।

तथा यदि पावर फैक्टर 0.99 है तो उस माह का KVAh = 1000/0.99 = 1010 unit (1% अधिक)

तथा यदि पावर फैक्टर 0.90 है तो उस माह का KVAh = 1000/0.90 = 1111 unit (11% अधिक)

तथा यदि पावर फैक्टर 0.85 है तो उस माह का KVAh = 1000/0.85 = 1176 unit (17% अधिक)

तथा यदि पावर फैक्टर 0.75 है तो उस माह का KVAh = 1000/0.75 = 1335 unit (33% अधिक)

उपरोक्त उदाहरण से स्वतः स्पष्ट है कि पावर फैक्टर कम होने की दशा में रीडिंग बढ़ती जाती है तथा उसी अनुपात में बिल की धनराशि भी बढ़ती जाती है।

(ख) उपभोक्ताओं को यह सलाह दी जाती है हमेशा आनलाइन कैपीसटर का प्रयोग करें क्योंकि आन लाइन कैपीसटर के प्रयोग से यह फायदा है कि यदि कम भार का प्रयोग किया जा रहा है तो उसी क्षमता का कैपीसटर कार्य करेगा तथा पावर फैक्टर नियंत्रित रहेगा।

(ग) यदि किसी उपभोक्ता की इकाई का पावर फैक्टर 0.75 या कम आता है तो विभाग आपका संयोजन विच्छेदित किया जा सकता है एवं दण्डात्मक शुल्क भी वसूल किया जा सकता है।

(घ) वर्तमान टैरिफ के अनुसार विभाग टी.ओ.डी. मीटर वाले उपभोक्ताओं से लो पावर फैक्टर सरचार्ज नहीं वसूल करेगा परन्तु यदि पावर फैक्टर 0.75 से कम है तो यह नियम लागू नहीं होगा।

12. अधिक ऊर्जा खपत करने वाले उपभोक्ताओं को टैरिफ में मासिक लोड फैक्टर रिबेट की सुविधा प्रदान की गयी है। मासिक लोड फैक्टर रिबेट में मासिक का तात्पर्य किसी माह में 1 तारीख से 30 तारीख तक कितनी खपत व उस माह में कितनी डिमाण्ड दर्ज हुई है से है, लोड फैक्टर रिबेट की गणना इसी आधार पर कर छूट दिये जाने का प्राविधान है परन्तु विभाग द्वारा यह लोड फैक्टर रिबेट रीडिंग अवधि के अनुसार खपत ऊर्जा एवं अंकित डिमाण्ड के आधार पर गणना करके दी जाती है। यह नियमानुसार गलत है क्योंकि किसी भी वित्तीय वर्ष में अप्रैल से मार्च माह के बिलों में ली गयी रीडिंग के दिनों की गणना की जाये तो वह 365 दिनों से या तो कम होगी या ज्यादा होगी, जोकि विद्युत सूची के (टैरिफ) प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

13. HV-2 श्रेणी के वे उपभोक्ता जिनकी विद्युत आपूर्ति 11/0.4 के.वी. ट्रान्सफार्मर से की जा रही, तथा विभाग द्वारा बिलिंग मीटर के स्थान पर LT मीटर के द्वारा की जा रही है, इस स्थिति में विभाग द्वारा प्रत्येक माह बिल में 15% वोल्टेज सरचार्ज लगाकर भुगतान लिया जा रहा है। परन्तु वितरण संहिता 2005 के एवम् आयोग के आदेशों के अनुसार उपरोक्त स्थिति में विभाग ऐसे उपभोक्ताओं से डिमाण्ड में 2% एवं खपत में 3% अधिक जोड़कर भुगतान लेगा।

14. विद्युत दर सूची (टैरिफ) के अनुसार विद्युत कर (Electricity Duty) की गणना, जो कि 09 पैसे प्रति यूनिट है, KWh की रीडिंग के आधार पर की जायेगी परन्तु कई बार देखने में आया है कि विभाग द्वारा विद्युत कर की गणना KWh के स्थान पर KVAh कर दी जाती है जोकि गलत है।

15. **विलम्ब अधिभार :**

विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंगीकृत किए गए विभिन्न दर सूचियों (टैरिफ) में विलम्ब अधिभार हेतु प्राविधान है कि :–

(i) यदि उपभोक्ता किसी माह समय पर विद्युत बीजक में दर्शायी गयी धनराशि का भुगतान नहीं करता है अथवा कम करता है तो ऐसी स्थिति में विभाग पहले 1.25% के अनुसार विलम्ब अधिभार अगले तीन महीनों तक वसूल करेगा, यदि तीन माह में भुगतान नहीं होता है तो इसके बाद 1.5% के अनुसार उपरोक्त बकाया धनराशि पर विलम्ब अधिभार वसूल करेगा।

(ii) सामान्यतः विभाग 1.5% दर से विलम्ब अधिभार किसी माह की बकाया धनराशि पर वसूल करता है तथा अगले माह इस धनराशि को मूल धनराशि में जोड़कर पुनः 1.5% की दर से विलम्ब अधिभार वसूल करता है जो कि गलत है क्योंकि :–

(क) दण्ड पर दण्ड नहीं लगाया जा सकता।

(ख) दण्ड बकाया अवधि के लिए होता है अर्थात हमने जितनी अवधि के लिए विभाग की धनराशि का उपयोग किया है उसी अवधि के लिए विभाग हमसे विलम्ब अधिभार ले सकता है।

(ग) विभाग Cumulative Interest (चक्रवृद्धि ब्याज) लेने का हकदार नहीं है।

(iii) यदि उपभोक्ता विलम्ब अधिभार की गणना करे तो यह 18% वार्षिक ब्याज बनता है जबकि किसी भी सरकारी बैंक से जो ऋण लिया जाता है उस पर उपभोक्ता अधिकतम 15% वार्षिक ब्याज का भुगतान करता है। तथा विलम्ब अधिभार की वजह से बकाया धनराशि बढ़ती जाती है तथा ऐसे उपभोक्ता लोड फैक्टर Rebate एवं अन्य कई छूट पाने का हक खो देते हैं।

उपरोक्त से स्वतः स्पष्ट है कि यदि उपभोक्ता प्रत्येक माह समय पर विद्युत बीजक में दर्शायी गयी धनराशि का भुगतान कर दे तो उसे कम से कम 3% ब्याज का फायदा होगा तथा जो छूट प्राप्त होनी है वह उसको मिल सकेगी।

(iv) विद्युत वितरण संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि उपभोक्ता द्वारा जो भी धनराशि का भुगतान किया जाता है उस धनराशि का समायोजन निम्नवत् होगा :–

(क) पिछले माह की बाकाया धनराशि

(ख) वर्तमान माह के बीजक की धनराशि

(ग) अन्य देय

अर्थात् यदि उपरोक्त दोनों पैरा का विश्लेषण करे तो उसको कभी भी 1.25 से ज्यादा विलम्ब अधिभार का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

16. (क) विद्युत नियामक आयोग के द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा जमा प्रतिभूति धनराशि पर दिनांक 14.09.2006 तक 3 प्रतिशत ब्याज एवं उसके पश्चात् 6 प्रतिशत की दर से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में ब्याज दिए जाने का प्राविधान है। यदि विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसकी लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों से अवश्य करें।

(ख) विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत यदि कोई उपभोक्ता विभाग से प्री–पेड मीटर से अपनी विद्युत आपूर्ति चाहता है तो विभाग उसको प्री–पेड मीटर से विद्युत आपूति देगा तथा इस स्थिति में अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि की माँग उपभोक्ता से नहीं करेगा।

(ग) विद्युत वितरण संहित 2005 के अनुसार विभाग प्रत्येक वित्तीय वर्ष का औसत मासिक बिल के आधार पर दो माह के बिल के धनराशि के बराबर पूर्व में जमा प्रतिभूति धनराशि को घटाते हुए अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि की माँग हेतु नोटिस जारी करेगा एवं यह धनराशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं होने पर विभाग को संयोजन काटने का अधिकार होगा। इस असुविधा से बचने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता को प्री–पेड मीटर लगाने हेतु विभाग को लिखित रूप में अविलम्ब सूचित कर देना चाहिए। यदि विभाग मना करता है तथा अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि अधिक है तो उपभोक्ता को उच्च न्यायालय की शरण लेना चाहिए।

(घ) यदि किसी उपभोक्ता से माँगी गई अतिरिक्त प्रतिभूति की धनराशि, जमा प्रतिभूति धनराशि के 10 प्रतिशत से कम है तो विद्युत वितरण संहिता 2005 के अनुसार विभाग आपसे अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि की माँग नहीं कर सकता।

17. (क) प्रत्येक उपभोक्ता का यह दायित्व है कि विभाग द्वारा मीटर बदले जाने पर, मीटर सीलिंग प्रमाण की प्रति अवश्य प्राप्त कर लें एवं यह सुनिश्चित कर लें कि नये एवं पुराने मीटर की सही रीडिंग सीलिंग प्रमाण–पत्र में अंकित है अथवा नहीं। यदि अधिकारी सीलिंग प्रमाण–पत्र देने से मना करें तो उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों एवं आयोग से अवश्य करें।

(ख) विद्युत वितरण संहिता 2005 के अनुसार विभाग की जिम्मेदारी है कि ऐसे उपभोक्ता जिनका विद्युत भार 100 के.वी.ए. तक है उनके मीटर की जाँच वर्ष में एक बार तथा अन्य एल.टी. उपभोक्ता के संयोजन पर लगे मीटर की जाँच दो वर्ष में एक बार की जायेगी। अतः सभी उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि यदि विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो स्वयं पत्राचार करके इसकी जाँच करा लें जिससे कि विभाग आपके ऊपर जाँच तिथि से पूर्व किसी भी प्रकार का कोई असिसमेन्ट ना करा सकें।

18. **रूरल रिबेट :**

सामान्यतः उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें ग्रामीण छूट मिलेगी अथवा नहीं। ग्रामीण छूट के सम्बन्ध में आयोग द्वारा समय–समय पर विद्युत वितरण संहिता एवं विद्युत दर सूचियों (टैरिफ) में स्पष्ट किया गया है कि कौन–कौन से उपभोक्ता ग्रामीण छूट के हकदार होंगे। इस सम्बन्ध में कुछ परिभाषायें नीचे दी जा रही हैं :–

(क) ग्रामीण क्षेत्र (रूरल एरिया) – यह वो एरिया है जिसकी अधिसूचना प्रदेश सरकार विद्युत अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत घोषित करती है। परन्तु इसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है कि प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना जारी की गयी है।

(ख) शहरी क्षेत्र (Urban Area) – ग्रमीण क्षेत्र एवं पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर समस्त क्षेत्र शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

(ग) ग्रामीण अनुसूची (Rural Schedule)

(घ) ग्रामीण फीडर (Rural Feeder)

क्रमांक ग एवं घ पर अंकित ग्रामीण अनुसूची व ग्रामीण फीडर के सम्बन्ध में विद्युत वितरण संहिता 2005 में स्पष्ट उल्लेख है कि ग्रामीण अनुसूची और ग्रामीण फीडर का वही अर्थ होगा जैसा कि आयोग के टैरिफ आर्डर में वर्णित होगा या जैसा कि उस सीमा तक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित है जो टैरिफ आदेश के असंगत न हो। टैरिफ आर्डर अथवा किसी लाइसेन्सी की Website में ग्रामीण अनुसूची एवम् ग्रामीण फीडर का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है तथा वर्तमान टैरिफ में आयोग ने उपभोक्ताओं के ऊपर कुठाराघात करते हुए यह निर्णय दिया है कि उपभोक्ता जिनको टी.ओ. डी. मीटर के द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा रही है उनको 15% Rural Rebate नहीं दी जाएगी।

19. **Voltage Variation :**

उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण संहिता 2005 एवं संशोधन के अनुच्छेद 77.1 में प्राविधान है कि प्रत्येक लाइसेन्सी घोषित वोल्टेज के संदर्भ में नीचे दिये गए नियत सीमा के अन्तर्गत उपभोक्ता को आपूर्ति प्रारम्भ के बिन्दु पर वोल्टेज कायम रखेगा।

1. Low Voltage – up to 11 kV (+) 6% से (–) 6%
2. High Voltage – (+) 6% से (–) 9%
3. Extra High Voltage – (+) 10% से (–) 12%

यदि किसी उपभोक्ता को आपूर्ति प्रारम्भ के बिन्दु पर उपरोक्त नियम सीमा के अन्तर्गत वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है तो उपभोक्ता लाइसेन्सी को शिकायत दर्ज करेगा और लाइसेन्सी को निम्न वर्णित समय पर इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा।

(क) स्थानीय समस्याओं के मामले में 24 घंटे के अन्दर।

(ख) L.T. वितरण प्रणाली की अपर्याप्तता (Inadequacy of L.T. Distribution System) के मामले में माह के भीतर।

(ग) H.T. वितरण प्रणाली में कमी (Defficiency in the H.T. Distribution System) के मामले में 12 माह के भीतर।

ऐसे उपभोक्ता जिनको कम वोल्टेज की आपूर्ति हो रही है वे सभी विद्युत वितरण संहिता 2005 के अन्तर्गत हर्जाना पाने के हकदार है परन्तु 6 साल बीत जाने के उपरान्त भी उत्तर प्रदेश नियामक आयोग ने इसको लागू नहीं किया है अपितु उसने अपने संहिता के संलग्नक 7.1 में यह लिखा है कि इसका क्रियान्वयन बाद में लागू किया जायेगा जोकि उपभोक्ता के साथ अन्याय है क्योंकि यदि उपभोक्ता से दण्ड लिया जा सकता है तो उसको हर्जाना भी मिलना चाहिए।

साभार : श्री रमाशंकर अवस्थी

कुछ ध्यान देने योग्य सावधानियाँ :

शीतगृहस्वामियों को आलू का भण्डारण सत्र शुरू होते ही अपने शीतगृहों में इन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए :–

1. ध्यान दें कि पहुँच की पक्की रसीद जितनी जल्दी हो सके भण्डारणकर्ताओं को देने की कोशिश करें। जो नहीं ले गए है या ले जा रहे है उन्हें पत्र द्वारा सूचित भी कर दें।
2. बीमा पालिसी को हमेशा कार्यरत रखें। यदि तारीख निकल गई हो तो पुनः नया करवा लें। यह भी ध्यान रखे कि बीमा सही मात्रा का हो। कम मात्रा के बीमे पर प्रायः क्लेम नहीं मिलते। बीमे

की पालिसी से यह जरूर चेक कर लें कि जो भी मशीनरी का बीमा आपने करवाया है वह उस लिस्ट में शामिल है या नहीं।

3. यदि आपके यहाँ अपना ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो उसका ऑयल जरूर चेक करवा लें। वह पूरा निशान तक भरा होना चाहिए।
4. पावर फैक्टर पैनल को भी चेक करते रहे।
5. बंकर क्वायल के ऊपर लगे हुए पंखों को जरूर चेक करें कि वह सही हवा दे रहे हैं या नहीं। बंकर क्वायल पर मोटी बर्फ नहीं जमनी चाहिए। बहुत ही हल्की बर्फ का आना और तुरन्त उड़ जाना बहुत अच्छा माना जाता है।
6. लोडिंग के बाद कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। अतः इसे सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच ऊपर की खिड़की खोलकर व दरवाजे खोलकर दो घंटे कुछ दिन निकालते रहे।
7. शीघ्र पल्टाई के लिए भी तैयार रहें क्योंकि इससे आपको सही गैलरी और हवा के लिए जगह छोड़ने में बड़ी मदद मिलती है।
8. दीवारों से कम से कम 9 इंच का फासला रखकर ही आलू की छल्लियाँ लगाए।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2014-16

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित